

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Haryana

के.वि.वि./ई.एंड.जीए./2020/584-590

दिनांक: 30-04-2020


कार्यालय-आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में रहने व भोजन सेवाओं के लिए निम्नलिखित संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू की गई हैं:

कर्म संख्या	अतिथियों के प्रकार	वातानुकूलित कमरा (प्रति दिन रुपए)	बिना वातानुकूलित कमरा (प्रति दिन रुपए)	सर्दी में हीटर का कमरा (प्रति दिन रुपए)	सर्दी में बिना हीटर का कमरा (प्रति दिन रुपए)
1.	विश्वविद्यालय के मेहमानों के लिए	कोई किराया नहीं लगेगा	कोई किराया नहीं लगेगा	कोई किराया नहीं लगेगा	कोई किराया नहीं लगेगा
2.	विश्वविद्यालय में विदेश से आए मेहमानों को लिए	250	150	250	150
3.	विश्वविद्यालय कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए	400	250	300	250
4.	विश्वविद्यालय कर्मचारियों के मेहमानों के लिए	800	500	700	500

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में भोजन की सेवाएं हेतु दरें


कर्म संख्या	भोजन का समय व प्रकार	भोजन दरें
1.	सुबह का नाश्ता	50/-
2.	दोपहर का नाश्ता	80/-
3.	रात का खाना	80/-
4.	विशेष खाना	150/-
5.	चाय	10/-



सहायक कुलसचिव
संपदा और सामान्य प्रशासन अनुभाग

प्रति निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत है:

1. निजी सचिव, कुलपति कार्यालय (माननीय कुलपति की जानकारी के लिए)
2. निजी सहायक, कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव की जानकारी के लिए)
3. सहायक कुलसचिव, वित्त विभाग (वित्त अधिकारी की जानकारी के लिए)
4. अनुभाग अधिकारी, परीक्षा शाखा (परीक्षा नियंत्रक की जानकारी के लिए)
5. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष (जानकारी के लिए)
6. डॉ विनोद, प्रभारी, अतिथि गृह
7. वरिष्ठ तकनीकी सहायक, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की ईमेल पर सूचना हेतु भेजने के लिए



सहायक कुलसचिव
संपदा और सामान्य प्रशासन अनुभाग